

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग


क्रमांक एफ 45(75)खा.ले./नीति/केरो./2015-16

जयपुर, दिनांक 5/2/19

—:आदेश:—


पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या पी-20028/2/2000-पी.पी. (Vol. IV)(Pt.-I) दिनांक 05.09.2017 द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं का कमीशन 787.82 प्रति के.एल. से बढ़ाकर रूपये 1008.83 प्रति के.एल. किया गया था एवं पत्र संख्या पी-20028/2/2000-पी.पी. (Vol. IV)(Pt.-I) दिनांक 04.10.2018 द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं का कमीशन 1008.83 प्रति के.एल. से बढ़ाकर रूपये 1016.37 प्रति के.एल. किया गया है, जिसे केरोसीन (उपयोग, निबंधन, कीमत, नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 2 (डी)(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा राशि रु. 1016.37 प्रति के.एल. किया जाता है। यह आदेश दिनांक 05.02.2019 से तुरन्त प्रभावी होंगे।

शेष शर्तें पूर्व अधिसूचना क्रमांक 45(75)खा.ले./नीति/केरो./2012-13 दिनांक 23.03.2017 के अनुसार यथावत रहेंगी।

  
(मुग्धा सिन्हा)  
शासन सचिव, खाद्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, सचिवालय जयपुर।
7. निजी सचिव, अति० खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. उपायुक्त प्रथम/उपायुक्त (मु), खाद्य विभाग, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, राज. सरकार।
11. सार्वजनिक वितरण शाखा/पेट्रोलियम/केरोसीन शाखा/मुख्यालय राजस्थान।
12. अध्यक्ष राजस्थान केरोसीन डीलर्स एसोसियेशन, 22 गोदाम, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को ई-मेल करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त